



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 516]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941
No. 516]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/BHADRA 15, 1941

---

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2019

**सा.का.नि. 637(अ).**—औद्योगिक उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय प्रारूप नियम उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 145(अ), तारीख 20 फरवरी, 2019 द्वारा उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी ;

और, उक्त राजपत्र की अधिसूचना जनता को 25 फरवरी, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 10 और धारा 11, धारा 12 की उपधारा (2), धारा 13 और धारा 14 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. **(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. औद्योगिक उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति नियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) “उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)” अथवा “औद्योगिक विकास मंत्रालय” जहां-जहां वे आते हैं, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर क्रमशः “वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)” शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियम के नियम 10 में उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक या अधिक समितियां नियुक्त कर सकेगी जैसे कि वह निम्नलिखित से बरतने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित समझे,-

- (क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ;
- (ख) अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योग ;
- (ग) गृह ;
- (घ) वाणिज्य ;
- (ङ) कारपोरेट कार्य ;

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, यदि वह उचित समझे, ऐसी समिति में किसी अन्य मंत्रालय या विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य सदस्य को सम्मिलित कर सकेगी।”

4. मूल नियम के नियम 15 में,-

- (i) उपनियम (1) में, “3 मास” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “पांच मास” शब्द रखा जाएगा ;
- (ii) उपनियम (2) में, “तीन मास” शब्दों के स्थान पर, “पांच मास” शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 7(1)/2012-आईपी-खंड. II]

रविन्द्र, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1141, तारीख 9 जुलाई, 1952 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए,-

1. अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 1856(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 1953 ;
2. अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 691(अ), तारीख 1 मार्च, 1957 ;
3. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1781(अ), तारीख 11 दिसंबर, 1964 ;
4. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 2187(अ), तारीख 6 दिसंबर, 1968 ;
5. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 270(अ), तारीख 14 जून, 1974 ;
6. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 274(अ), तारीख 19 जून, 1974 ;
7. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 284(अ), तारीख 25 जून, 1974 ;
8. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 369(अ), तारीख 17 अगस्त, 1974 ;
9. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 392(अ), तारीख 17 सितंबर, 1974 ;
10. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 399(अ), तारीख 23 सितंबर, 1974 ;
11. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 599(अ), तारीख 15 नवंबर, 1975 ;
12. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 719(अ), तारीख 26 सितंबर, 1981 ;
13. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 66(अ), तारीख 14 फरवरी, 1984 ;
14. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 100(अ), तारीख 18 फरवरी, 1987 ;
15. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 926(अ), तारीख 3 दिसंबर, 1993 ;
16. अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 740(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2012।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 2019

**G.S.R. 637(E).**—Whereas draft of certain rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, were published, as required by sub-section (1) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 145(E), dated the 20<sup>th</sup> February, 2019, in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification is published, are made available to the public;

And whereas, the said Gazette notification was made available to the public on 25<sup>th</sup> February, 2019;

And whereas, no objections or suggestions have been received by the Central Government on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 read with sections 10 and 11 sub-section (2) section 12 and sections 13 and 14 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, namely:-

1. **(1) Short title and commencement.**- These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertaking (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952 (hereinafter referred to as the principal rules) for the words and brackets “Ministry of Industry (Department of Industrial Development)” or “Ministry of Industrial Development” wherever they occur, the words “Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade” shall respectively be substituted.

3. In the principal rules, in rule 10, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint one or more committees, consisting of such number of members as it may think fit, to represent the Ministries or Departments of the Central Government dealing with,—

- (a) Department for Promotion of Industry and Internal Trade;
- (b) Industries specified in the First Schedule to the Act;
- (c) Home Affairs;
- (d) Commerce;
- (e) Corporate Affairs;

Provided that the Central Government may, if it deems fit, include in such committee any other member to represent any other Ministry or Department.”.

4. In the principal rules, in rule 15,—

- (i) in sub-rule (1) for the figure and words “3 months” the words “five months” shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (2) for the words “three months” the words “five months” shall be substituted.

[F. No. 7(1)/2012-IP Vol-II]

RAVINDER, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published vide notification number S.R.O. 1141, dated the 9th July, 1952 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, and was subsequently amended by:—

1. Notification No. S.R.O. 1856, dated the 1<sup>st</sup> October, 1953;
2. Notification No. S.R.O. 691, dated the 1<sup>st</sup> March, 1957;
3. Notification No. G.S.R. 1781, dated the 11<sup>th</sup> December, 1964;
4. Notification No. G.S.R. 2187, dated the 6<sup>th</sup> December, 1968;
5. Notification No. G.S.R. 270(E), dated the 14<sup>th</sup> June, 1974;
6. Notification No. G.S.R. 274(E), dated the 19<sup>th</sup> June, 1974;
7. Notification No. G.S.R. 284(E), dated the 25<sup>th</sup> June, 1974;
8. Notification No. G.S.R. 369(E), dated the 17<sup>th</sup> August, 1974;
9. Notification No. G.S.R. 392(E), dated the 17<sup>th</sup> September, 1974;
10. Notification No. G.S.R. 399(E), dated the 23<sup>rd</sup> September, 1974;
11. Notification No. G.S.R. 599(E), dated the 15<sup>th</sup> November, 1975;
12. Notification No. G.S.R. 719(E), dated the 26<sup>th</sup> September, 1981;
13. Notification No. G.S.R. 66(E), dated the 14<sup>th</sup> February, 1984;
14. Notification No. G.S.R. 100(E), dated the 18<sup>th</sup> February, 1987;
15. Notification No. S.O. 926(E), dated the 3<sup>rd</sup> December, 1993;
16. Notification No. G.S.R. 740(E), dated the 4<sup>th</sup> October, 2012.